न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

अपील संख्या:– 419/2019

निर्णय दिनांक :–

उनवानी दावा :

1. श्रीमती मनभर धर्मपत्नि स्वर्गीय श्री लादूलाल जाति गुर्जर निवासी बालापुरा तहसील देवली जिला टोंक हाल निवासी मालेडा तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
2. रामराज पुत्र स्वर्गीय श्री लादूलाल जाति गुर्जर निवासी बालापुरा तहसील देवली जिला टोंक हाल निवासी मालेडा तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
3. मदनलाल पुत्र स्वर्गीय श्री लादूलाल जाति गुर्जर निवासी बालापुरा तहसील देवली जिला टोंक हाल निवासी मालेडा तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
4. गोरा पुत्री स्वर्गीय श्री लादूलाल जाति गुर्जर निवासी बालापुरा तहसील देवली जिला टोंक हाल निवासी मालेडा तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

–अपीलांन्ट–

बनाम

1. सुखलाल पुत्र स्वर्गीय श्री बन्ना जाति गुर्जर, निवासी बालापुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. शंकर पुत्र सुखलाल जाति गुर्जर निवासी बालापुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. राजू पुत्र सुखलाल जाति गुर्जर निवासी बालापुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0
4. विकास पंचायत (ग्राम पंचायत) बंथली जरिये सरपंच

–रेस्पोडेण्टस –

उपस्थिति :–

श्री अजय सिंह सोलंकी
श्री आलोक कुमार शर्मा
अधिवक्ता अपीलान्ट

एकपक्षीय कार्यवाही
विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 4

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 27,
विकास पंचायत (ग्राम पंचायत) बंथली
दिनांक 17.05.1991

निर्णय/आदेश

Dr. 2a

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा पेश अपील के तथ्य इस प्रकार है कि भूमि ाबिका भूमि ख0नं0 201 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा, ख0नं0 222 रकबा 10 बीघा 9 बिस्वा, ख0नं0 153/2 रकबा 4 बीघा, ख0नं0 200/2 रकबा 1 बीघा कुल किता 4 कुल रकबा 19 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम बालापुरा तहसील देवली जिला टोंक थे जिनके सेटलमेंट के दौरान उक्त आराजीयात के नये हाल ख0नं0 557 रकबा 0.59 है0, ख0नं0 558 रकबा 0.66 है0, ख0नं0 549 रकबा 0.50 है0, ख0नं0 550 रकबा 0. 04 है0, ख0नं0 551 रकबा 1.99 है0, ख0नं0 448 रकबा 1.10 है0, ख0नं0 560 रकबा 0.09 है0 कुल किता कुल रकबा 4.97 है0 वाके ग्राम बालापुरा ग्राम पंचायत बंथली तहसील देवली जिला टोंक है। उक्त आराजीयात अपीलान्ट सं0 1 के ससुर व अपीलान्ट संख्या 2 ता 4 के दादा एवं रेस्पोडेण्ट सं0 1 के पिता व रेस्पोडेण्ट संख्या 2, 3 के दादा श्री बन्ना पुत्र रामनाथ कोम गुर्जर की तन्हा खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि थी। खातेदार बन्ना पुत्र रामनाथ गुर्जर के फोत होने पर रेस्पोडेन्ट्स ने पटवारी एवं ग्राम पंचायत बंथली के तत्कालीन सरपंच से साजिश करके उक्त पुश्तैनी आराजीयात का नामान्तकरण 27 केवल मात्र रेस्पोडेन्ट्स ने अपने नाम भरवा कर दिनांक 17.05.1991 को ग्राम पंचायत बंथली से तस्दीक करवाया है जिससे उत्पीडित होकर यह अपील निम्न में से कुछेक कारणों पर प्रस्तुत है –

1. योग्य अधीनस्थ विकास पंचायत (ग्राम पंचायत) बंथली द्वारा पारित अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 27 दिनांक 17.05.1991 विधि विधान एवं तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है।
2. मृतक बन्ना पुत्र रामनाथ गुर्जर का पारिवारिक सजरा इस प्रकार है –

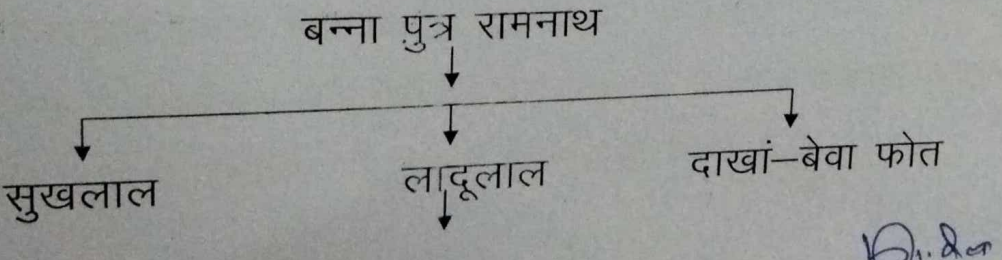

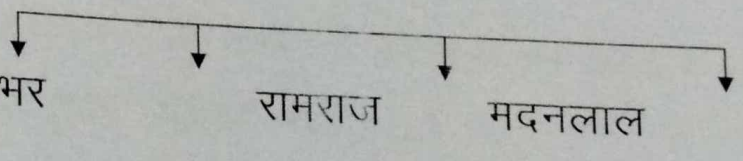

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत मृतक बन्ना के विधिक उत्तराधिकारीगण सुखलाल व लादूलाल दोनों पुत्र है। बन्ना की खातेदारी की आराजीयात में अपीलार्थीगण के पिता एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 का हिस्सा बराबर यानि अपीलान्ट के पिता लादूलाल का 1/2 हिस्सा है एवं रेस्पोडेण्ट नं0 1 सुखलाल का 1/2 हिस्सा है। परन्तु रेस्पोडेन्ट नं0 1 ने पटवारी हल्का एवं अधीनस्थ विकास पंचायत (ग्राम पंचायत) बंथली से साज करके उपरोक्त वर्णित सम्पूर्ण भूमि का नामान्तकरण रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अपने साथ–साथ रेस्पोडेण्ट संख्या 2, 3 जो कि रेस्पोडेण्ट नं0 1 सुखलाल के पुत्र है को स्वर्गीय बन्नालाल के पुत्र बताते हुए शंकर उर्फ लादू, राजू पि. बन्ना अंकित करवाते हुए नामान्तकरण भरवाकर तस्दीक करवा लिया। जबकि रेस्पोडेण्ट संख्या 2, 3 सुखलाल के पुत्र है और बन्ना के तो वे पोत्र है। उक्त नामान्तकरण वास्तविकता के विपरित होने से अपीलाधीन नामान्तकरण निरस्त किये जाने योग्य है।

3. अधिनस्थ विकास पंचायत (ग्राम पंचायत) बंथली ने नामान्तकरण तस्दीक करने से पूर्व मृतक बन्ना के वारिसान की विधिवत रूप से कोई जांच नहीं की और सरसरी तौर पर ही रेस्पोडेण्ट नं0 1 ता 3 के हक में नामान्तकरण तस्दीक कर दिया जो कानूनी रूप से अवैध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

4. नामान्तकरण खोलने से पूर्व अपीलार्थीगण के पिता लादूलाल एवं अपीलार्थीगण को विधिवत रूप से नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर और अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया। इस प्रकार प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की स्पष्ट रूप से अवहेलना की गई है। इस कारण भी नामान्तकरण संख्या 27 गलत साबित हुआ है, इसलिए भी निरस्त किये जाने योग्य है।

D.Bar

नान्तकरण तस्दीक किये जाने से पूर्व मौके पर कब्जे के संबंध में अधीनस्थ विकास पंचायत (ग्राम पंचायत) बंथली द्वारा कोई जांच नहीं की गई है। जबकि विवादित आराजीयत पर 1/2 हिस्सा की भूमि पर पूर्व में अपीलान्ट्स के पति व पिता लादूलाल व उनके स्वर्गवास के बाद अपीलान्ट्स लगातार काबिज होकर जमीन को मौके पर काश्त करते चले आ रहे है और बहेसियत मौके पर मालिक स्वामी के काबिज है। इस तथ्य की अनदेखी करते हुए नामान्तकरण तस्दीक करने में अधिनस्थ विकास पंचायत (ग्राम पंचायत) बंथली ने भूल की है। जिससे भी नामान्तकरण निरस्त किये जाने योग्य है।

6. अधिनस्थ विकास पंचायत (ग्राम पंचायत) बंथली ने बन्ना के फोती के नामान्तकरण को तस्दीक करने से गांव में न तो वारिसान की जांच की और न ही गांव में मोबीर लोगो से पूछताछ की और न ही गवाहान के बयान लिये और मनमाने रूप से बन्ना के रेस्पोडेण्ट्स को वारिस मानते हुए तन्हा रूप से सारी आराजीयात का नामान्तकरण रेस्पोडेण्ट के नाम तस्दीक करने में महत्वपूर्ण भूल की है। जिससे भी नामान्तकरण निरस्त किये जाने योग्य है।

7. ग्राम बालापुरा की निर्वाचक नामावली सन् 1993 रेस्पोडेण्ट सं0 2 शंकरलाल पुत्र सुखलाल अंकित हो रखा है जबकि नामान्तकरण 1991 में ही तस्दीक किया गया था यद वह बन्ना का पुत्र होता तो उक्त नामावली में शंकर के पिता का नाम बन्ना अंकित होता। रेस्पोडेण्ट नं0 1 उक्त आराजीयात को हडपने की नीयत से अपने दोनों पुत्रों शंकर व राजूलाल को बन्ना के पोत्र होते हुए भी उनको बन्ना के पुत्र बनवाकर अपने साथ-साथ उक्त आराजीयात का नामान्तकरण भरवाया है। जबकि वास्तविकता में उक्त आराजीयात का 1/2 हिस्सा लादूलाल के नाम व 1/2 हिस्सा सुखलाल के नाम दर्ज होना चाहिए था। उक्त नामान्तकरण विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

पीलार्थीगण को उक्त विवादित नामान्तकरण की पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी, अपीलार्थीगण ने अभी कुछ दिनो पूर्व पटवारी हल्का से अपने नाम की जमाबंदी की नकल देने हेतु निवेदन किया तो पटवारी हल्का बताया कि तुम्हारे नाम से कोई जमीन नहीं है। सारी जमीन रेस्पोडेण्ट्स के नाम ही है, तब अपीलार्थीगण ने नामान्तकरण की नकल एवं संबंधित नकले निकलवाकर, कानूनी जानकारी लेकर यह अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। अपील पेश करने में अपीलार्थीगण ने जान बूझकर कोई देरी या गलती नहीं की है। फिर भी कोई देरी मानी जावे तो उसे क्षम्य किये जाने हेतु दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अलग से पेश है।

9. अन्य कारण वरवक्त बहस मौखिक रूप से निवेदन किये जावेगें।

10. अपील निर्धारित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत की जा रही है। जिसकी सुनवाई का न्यायालय हाजा को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है।

अतः अपील अपीलाण्ट प्रस्तुत निवेदन है कि अपीलार्थीगण स्वीकार फरमायी जाकर उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 27 ग्राम बालापुरा द्वारा ग्राम पंचायत बंथली दिनांक 17.05.1991 को निरस्त फरमाया जाये एवं तहसीलदार साहब/राजस्व अधिकारी/कर्मचारी को आदेश दिया जाये कि बन्ना पुत्र रामनाथ गुर्जर की विवादित आराजीयात में 1/2 हिस्से का नामान्तकरण अपीलार्थीगण के पक्ष में भरा जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी जारी की गई।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 बाबजूद तामिल अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

बहस में अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यो को दोहराया कथन किया एफ. आई. आर दिनांक 1.12.15 में शंकर व राजू गुर्जर ने पिता का नाम

लाल गुर्जर रेस्पोडेन्ट ने अंकित करवाया है और इसी एफ. आई. आर में सुखलाल, शंकर व राजू ने पिता का नाम बन्नालाल गुर्जर अंकित करवाया है। उक्त से स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट ने जालसाजी करके नामातन्रण संख्या 27 गलत तस्दीक करवा लिया जो खारिज योग्य है। इसी तरह रामवतार सोनी के वकालतनामा में सुखलाल व शंकर पुत्र बन्ना व सुखलाल, शंकर पुत्र सुखलाल अंकित है। जिससे स्पष्ट है रेस्पोडेन्ट फर्जी व्यक्ति है जो अपने फायदे के लिए पिता का नाम बदलते रहते है। अतः नामान्तकरण संख्या 27 को खारिज फरमाकर अपीलान्ट के नाम नामान्तकरण तस्दीक करवाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज नामान्तकरण रजिस्टर ग्राम बालापुरा पटवार हल्का बन्थली में नामान्तकरण संख्या 27 बन्ना पुत्र रामनाथ फौत होने के बाद कॉलम संख्या 9 में सुखलाल, शंकर उर्फ लादू, राजू पि0 बन्ना व दाखा बेवा बन्ना गुर्जर दर्ज है। एफ. आई. आर दिनांक 1.12.15 में शंकर व राजू गुर्जर ने पिता का नाम सुखलाल गुर्जर रेस्पोडेन्ट ने अंकित करवाया है और इसी एफ. आई. आर में सुखलाल, शंकर व राजू ने पिता का नाम बन्नालाल गुर्जर अंकित करवाया है। न्यायालय अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक के निर्णय दिनांक 4.4.19 में शंकर व राजू पुत्र सुखलाल दर्ज है। उक्त विभेदो से स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट ने नामातन्रण संख्या 27 गलत तस्दीक करवा लिया । इसी तरह रामवतार सोनी के वकालतनामा में सुखलाल व शंकर पुत्र बन्ना व सुखलाल, शंकर पुत्र सुखलाल अंकित है। अपीलान्टस के अनुसार ग्राम पंचायत बंथली ने वारिसान की सही जांच नामान्तकरण नहीं भरा गया है, केवल रेस्पोडेन्ट के कहने मात्र से नामान्तकरण तस्दीक कर दिया जो विधिविरूद्ध है। अत ग्राम पंचायत बंथली द्वारा नामान्तकरण रजिस्टर ग्राम बालापुरा पटवार हल्का बंथली द्वारा तस्दीक किये गये नामान्तकरण संख्या 27 दिनांक 17.05.91 को निरस्त किया जाता है तथा

.ौलदार दूनी को यह नामान्तकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता कि उक्त नामान्तकरण की विधिक दस्तावेजात के आधार व गांव में वृद्ध मोतबिरान व अपीलान्ट–रेस्पोडेन्ट के रिश्तेदारों से जांच पड़ताल कर नामान्तकरण तस्दीक करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली